प्रकाशन हेतु अनुमोदन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायधीश

अवमानना मामला (सी) संख्या 465/2011

याचिकाकर्तागण नवलाल डडसेना और अन्य

बनाम

उत्तरदातागण बृजेश चंद्र मिश्रा, कलेक्टर, जांजगीर चांपा व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9 नवम्बर 2012 को निर्णय सूची बद्ध करने के लिए

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायधीश

अवमानना मामला (सी) संख्या 465/2011

याचिकाकर्तागण नवलाल डडसेना और अन्य

बनाम

उत्तरदातागण बृजेश चंद्र मिश्रा, कलेक्टर, जांजगीर चांपा व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 और न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत अवमानना याचिका

उपस्थित: याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता श्री संजय कुमार।

उत्तरवादी 1 और 2 के अधिवक्ता श्री वी.आर. तिवारी।

श्री पी.एस. कोशी, उत्तरवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ।

श्री चाल्ला कोडंडा राम और डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ श्री शैलेंद्र शुक्ला और श्री रविंद्र रेड्डी, उत्तरवादी संख्या 4 के अधिवक्ता।

आदेश

(9 नवंबर 2012 में पारित)

2. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4427/11 में दिनांक 19/08/11 को पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए यह अवमानना याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 04/08/11 को एक रिट याचिका दायर की, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिकारी, डाभरा द्वारा अधिग्रहण मामले संख्या 04/ए/82/2009-10 में शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता की विभिन्न खसरा क्रमांकों में शामिल भूमि भी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में शामिल थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दिनांक 19/08/11 को जब मामला न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, तो अंतरिम अनुतोष की प्रार्थना पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद, निम्नलिखित प्रभाव का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया -

> "फिर भी, विवाद की प्रकृति को देखते हुए, सभी पक्षों के लिए यह उचित होगा कि वे प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें।

5. अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि यद्यपि न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में 19/08/11 को यथास्थिति

बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया गया था, फिर भी दिनांक 15/12/11 को उत्तरवादी संख्या 4 के निर्देश पर और क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर, आवेदकों की भूमि को समतल करने और खुदाई करने का कार्य किया गया, जो न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति आदेश का जानबूझकर उल्लंघन और अतिक्रमण करने का प्रयास है। इस संबंध में डाभरा स्थित संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण अधिकारी और तहसीलदार को भी भेजी गई, लेकिन प्राधिकारियों ने अंतरिम आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्पष्ट रूप से सुरक्षात्मक आवरण प्रदान किए जाने के बावजूद, जिसकी जानकारी प्रत्येक उत्तरवादी/अवमानना करने वाले को पूरी तरह से थी, इस न्यायालय के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया गया और राज्य के अधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई से यह भी साबित होता है कि वे प्रतिवादी संख्या 4 के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, जो एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 24/01/12 को दस्तावेजों को अभिलेख में लेने के लिए दायर आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलंग लेते हुए आगे कहा कि जब राज्य प्राधिकारियों द्वारा, विशेष रूप से तहसीलदार को अवमानना याचिका दायर होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने एक जांच शुरू की और याचिकाकर्ताओं को मौके पर

निरीक्षण और साक्ष्य दर्ज करने के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। इसके बाद, वे निरीक्षण के लिए सिंहितारिया गांव पहुंचे, लेकिन उन्होंने आवेदकों का सही बयान दर्ज नहीं किया और गलत रिपोर्ट और पंचनामा तैयार किए। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 का बयान भी तैयार किया गया और टाइप किया गया, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 4 का दर्ज बयान माना गया। आरोप यह है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के हितों को साधने और अंतरिम आदेश के उल्लंघन के अवमाननापूर्ण कृत्य के परिणामों से बचने के लिए एक झूठी कार्यवाही की गई।

8. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 का न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। अंतरिम आदेश के अंतर्गत आने वाली भूमि की विशिष्ट परिस्थितियों और स्थान को देखते हुए, जो कि उस विशाल भूमि क्षेत्र से घिरी हुई थी जिस पर काम चल रहा था, ठेकेदार के मजदूर अंतरिम आदेश के दायरे से बाहर की भूमि पर समतलीकरण और खुदाई का काम करते समय अनजाने में खंभे लगाने के लिए कुछ गड्ढे खोद बैठे। इस अनजाने में हुई गलती की जानकारी उत्तरवादी क्रमांक 4 को दी गई और भूमि को समतल करने के लिए तत्काल निर्देश दिए गए। गड्ढे भरना और मेड़ों की मरम्मत करना यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की ज़मीन बहुत छोटी है और एक बहुत बड़े भूभाग से घिरी हुई है, जिसका कब्ज़ा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में कंपनी को सौंप दिया गया था और जिस पर काम चल रहा था। उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक 4 स्वयं मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ज़मीन को समतल करने, गड्ढे खोदने और खंभे लगाने का काम एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, जिनके कर्मचारी और मजदूर लेवलर और डोजर मशीनों से काम कर रहे थे। यदि इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं की ज़मीन को भी थोड़ा-बहुत छुआ गया, तो जानबूझकर किए गए कृत्य के किसी अन्य सबूत के बिना भी यह बात उत्तरवादी क्रमांक 4 को अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराती। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने मौके पर मौजूद मजदूरों और ठेकेदारों के कृत्य की पूरी ज़िम्मेदारी स्वयं पर ली है और साथ ही यह भी कहा है कि जो भी थोड़े-बहुत गड्ढे खोदे गए थे, उन्हें अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही समतल कर दिया गया और उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। इसलिए, यह न्यायालय के आदेश की जानबूझकर या स्वेच्छापूर्वक अवज्ञा का मामला नहीं है। पहले ही अवसर पर, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अन्य ठेकेदारों या कर्मचारियों के साथ समन्वय की कमी के लिए बिना शर्त माफी मांगी है, यदि आवेदकों की भूमि का कोई भी हिस्सा समतलीकरण और खुदाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने अलग-अलग उत्तरों में यह तर्क दिया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 और 3 वास्तव में उत्तरवादी/प्राधिकारियों ने मौके पर किसी भी निर्माण कार्य में भाग नहीं लिया था और न ही ऐसा कोई आरोप है

कि उनकी उपस्थिति में उत्तरवादी क्रमांक 4 या उनके कामगारों ने आवेदकों की भूमि में प्रवेश किया था। उत्तरवादी/प्राधिकारियों ने यह भी कहा है कि जैसे ही उन्हें ऐसे आरोपों की जानकारी मिली, उत्तरवादी क्रमांक 1 कलेक्टर के लिखित निर्देश पर तहसीलदार को तत्काल मौके पर निरीक्षण करने और न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। तहसीलदार भी मौके पर गए और निरीक्षण किया, बयान दर्ज किए गए और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे पता चलता है कि उत्तरवादी/प्राधिकारियों ने न्यायालय के आदेश के किसी भी उल्लंघन का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया था और उत्तरवादी क्रमांक 4 को न्यायालय के आदेश का पालन करने और यथास्थिति के अंतरिम आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं के कब्जे को न हटाने के निर्देश भी जारी किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि का क्षेत्रफल, जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा 19/08/11 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, उत्तरवादी क्रमांक 4 के उत्तर में निर्दिष्ट किया गया है। याचिकाकर्ता संख्या 1 की भूमि का क्षेत्रफल 0.17 एकड़, याचिकाकर्ता संख्या 2 की 0.11 एकड़, याचिकाकर्ता संख्या 3 की 0.19 एकड़ और याचिकाकर्ता संख्या 4 की 0.21 एकड़ है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में भूमि के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया है, लेकिन इस संबंध में उत्तर में दिए गए तथ्य पर कोई प्रतिवाद दाखिल करके विवाद नहीं किया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने यह भी कहा है कि भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के तहत, चार गांवों में फैली लगभग 760 एकड़ भूमि का एक बड़ा

हिस्सा अधिग्रहित किया गया था और उन्हें सौंप दिया गया था। भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में, उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दायर शपथ पत्र के जवाब के अनुसार, याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक की भूमि का एक छोटा सा हिस्सा उत्तरवादी क्रमांक 4 के विशाल भूभाग से घिरा हुआ है, जिस पर उत्तरवादी क्रमांक 4 के ठेकेदार द्वारा गड्ढे खोदने और समतलीकरण सहित निर्माण कार्य किया जा रहा था। उत्तरवादी क्रमांक 4 के ठेकेदार ने अपने श्रमिकों और मजदूरों को समतलीकरण और गड्ढे खोदने के कार्य में लगाया हुआ था। उत्तरवादी क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, गड्ढे खोदने और समतलीकरण करते समय, श्रमिकों और मजदूरों ने अनजाने में, अपनी भूमि की सीमा का स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण, खंभे लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं की भूमि के कुछ हिस्से में खुदाई कर दी। यह श्रमिकों द्वारा भूमि की पहचान में हुई त्रुटि के कारण हुआ था, लेकिन जैसे ही यह तथ्य उत्तरवादी क्रमांक 4 के संज्ञान में आया, उन सभी गड्ढों को तुरंत भरने और मेड़ों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया गया। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने शपथपूर्वक मौके पर काम कर रहे श्रमिकों और मजदूरों द्वारा मेड़ों के साथ अनजाने में हुई छेड़छाड़ की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की है और समतलीकरण और निर्माण कार्य के दौरान हुई इस अनजाने में हुई गलती के लिए पहले ही अवसर पर माफी मांगी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के उत्तरों से भी यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायत किए जाने के तुरंत बाद, प्रत्येक उत्तरवादी ने न्यायालय के आदेश का

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए और याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि किसी भी उत्तरवादी ने कोई भूमिका निभाई हो या अनुपस्थित रहा हो। उस समय उपस्थित रहें जब डोजर/लेवलर याचिकाकर्ता की भूमि के उस हिस्से में प्रवेश कर गए, जिसके संबंध में अंतरिम आदेश लागू था।

12. **कपिलदेव प्रसाद साह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1999 (7) एससीसी 569 के मामले में** सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया - "9. उत्तरवादियों को अवमानना, विशेष रूप से दीवानी अवमानना का दोषी ठहराने के लिए, यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो। चूंकि अवमानना की सूचना और अवमानना के लिए दंड के दूरगामी परिणाम होते हैं, इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का स्पष्ट मामला सिद्ध हो गया हो। किसी विशेष मामले में अवज्ञा जानबूझकर है या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायिक आदेशों को ठीक से समझना और उनका पालन करना आवश्यक है। यहां तक कि लापरवाही और असावधानी भी अवज्ञा के बराबर हो सकती है, विशेष रूप से जब व्यक्ति का ध्यान न्यायालय के आदेशों और उनके निहितार्थों की ओर आकर्षित किया गया हो। न्यायालय के आदेश की अवज्ञा कानून के शासन की जड़ पर प्रहार करती है जिस पर हमारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शासन प्रणाली आधारित है। प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति आवश्यक है। यह व्यवस्था न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए लागू की जाती है।

"11. कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। जानबूझकर किए गए उल्लंघन में आकस्मिक, अनजाने, सद्भावनापूर्ण या अनैच्छिक कृत्य या आदेश की शर्तों का पालन करने में वास्तविक असमर्थता शामिल नहीं है। न्यायालय के आदेश के उल्लंघन की शिकायत करने वाले याचिकाकर्ता को न्यायालय के आदेश की जानबूझकर या अवज्ञापूर्ण अवज्ञा का आरोप लगाना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **<u>अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम धर्म गोधा और अन्य, 2003 (11) एससीसी</u>** 1 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (ख) के अंतर्गत दीवानी अवमानना शब्द के अर्थ की जाँच इस प्रकार की:

"17. न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (ख) में "सिविल अवमानना" को परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया का जानबूझकर उल्लंघन करना या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना। "जानबूझकर" का अर्थ है ऐसा कार्य या चूक जो स्वेच्छा से और जानबूझकर किया गया हो और कानून द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करने या कानून द्वारा अपेक्षित किसी कार्य को न करने के विशिष्ट इरादे से किया गया हो, अर्थात् कानून की अवज्ञा या अवहेलना करने के बुरे

उद्देश्य से किया गया हो। यह बुरे इरादे या बुरे उद्देश्य से की गई जानबूझकर की गई कार्रवाई को दर्शाता है। इसलिए, अवमानना गठित करने के लिए, न्यायालय का आदेश इस प्रकार का होना चाहिए जिसे सामान्य परिस्थितियों में आरोपित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जा सके। इसके लिए किसी असाधारण प्रयास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और न ही यह पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्भर होना चाहिए।

किसी तीसरे पक्ष के किसी भी कार्य या चूक के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होने के कारण...

14. **पटेल रजनीकांत धुलाभाई और अन्य बनाम पटेल चंद्रकांत धुलाभाई और अन्य, 2008 (14) एससीसी 561** के मामले में, अवमानना से संबंधित मुद्दे पर अपने पूर्व के निर्णयों का सर्वेक्षण करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"70. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करना वास्तव में एक कठोर कदम है और सामान्यतः ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, साथ ही, न्यायालयों की गरिमा और विधि के प्रभुत्व को बनाए रखना न्यायालय की शक्ति ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, जिसके कारण ऐसे चरम कदम उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि न्याय के उचित प्रशासन और न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत कठोर दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो, तो उसे अवमानना के शक्तिशाली हथियार का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

15. यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू किया जाए, तो यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19/08/11 को पारित अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए किसी भी उत्तरवादी को दोषी नहीं ठहराता है। वे परिस्थितियाँ जिनमें ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा काम पर लगाए गए गड्ढे समतल करने और खोदने के लिए याचिकाकर्ताओं की भूमि को शामिल किया गया था, विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि का वह छोटा सा टुकड़ा जो अन्यथा उस भूमि से घिरा हुआ है और जिसके संबंध में कोई अंतरिम आदेश नहीं था, और विशेष रूप से न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा लिया गया रुख। चूंकि उत्तरवादी क्रमांक 4 याचिकाकर्ताओं की भूमि पर किए गए किसी भी अतिक्रमण की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है और माफी मांग रहा है, और यह भी ध्यान में रखते हुए कि उत्तरवादि /प्राधिकार्यो ने भी कदम उठाए हैं, इस न्यायालय के लिए यह मानना कठिन है कि किसी भी अधिकारी या उत्तरवादि क्रमांक 1 से 3 द्वारा जानबूझकर अवज्ञा की गई थी। उत्तरवादि क्रमांक 4 ने अपने जवाब में पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जैसे ही उत्तरवादि क्रमांक 4 के संज्ञान में यह बात आई, याचिकाकर्ताओं की भूमि पर खोदे गए सभी गड्ढे भर दिए गए और मेड़ें बहाल कर दी गईं, और याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई भी प्रत्युत्तर दाखिल करके इन तथ्यों पर विवाद नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों और शपथ पत्र में दिए गए बयान के संदर्भ में, न्यायालय उत्तरवादीगण के विरुद्ध मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए इच्छुक नहीं है। अतः नियम उन्मोचित किया जाता है और अवमानना याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अस्वीकरणः</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- AYUSH TRIPATHI, Advocate